कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।

आदेश

वि.को./नि./रू.ए.सी.पी. – 07/2010

वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या 10770 दिनांक 31.12.81 तथा 660 दिनांक 08.02.99 के आलोक में दिनांक 01.04.81 से 31.12.95 के बीच 25 वर्ष की लगातार सेवा पूरी करने वाले निम्नांकित सहकारिता प्रसार पदाधिकारी को कालबद्ध प्रोन्नति योजना के तहत् द्वितीय कालबद्ध प्रोन्नति के संबंध में विभागीय स्क्रीनिंग समिति की दिनांक 11.02.2016 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही कंडिका–2(i) द्वारा की गई अनुशंसा के अनुसार उनके नाम के समक्ष अंकित तिथि के प्रभाव से सम्बन्धित कॉलम में अंकित वेतनमान् में द्वितीय कालबद्ध प्रोन्नति का लाभ प्रदान करने की स्वीकृति दी जाती है –

क्र॰ स॰	नाम	जन्म तिथि	नियुक्ति तिथि	द्वितीय कालबद्ध प्रोन्नति की तिथि एवं वेतनमान्	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	स्व॰ रघुवंश राय, से॰नि॰ दिनांक 31.01.2001 मृत्यु दिनांक 14.04.13	02.01.1943	15.09.1964	15.09.1989 2000–3800/–	

2॰ सम्बन्धित कार्यालय प्रधान वेतन निर्धारण के पूर्व उपरोक्त सम्बन्धित कर्मी की मूल सेवा पुस्तिका की पुनः जाँच करके संतुष्ट हो लेंगे कि उनकी सेवा सम्पुष्ट है तथा द्वितीय कालबद्ध प्रोन्नति की तिथि को उपरोक्त वर्णित वांछित अवधि की नियमित एवं लगातार सेवा पूर्ण कर लिए हैं। वेतन निर्धारण के पश्चात् स्वीकृत की गई उक्त द्वितीय कालबद्ध प्रोन्नति की सम्पुष्टि का प्रस्ताव सेवापुस्त के साथ सम्बन्धित कार्यालय प्रधान द्वारा मुख्यालय को प्रेषित किया जाएगा तथा संपुष्टि उपरान्त ही आर्थिक लाभ के भुगतान की कार्रवाई की जाएगी।

3॰ यह प्रोन्नति पुर्णतः औपबंधिक है। जाँच के क्रम में अथवा प्रशासी विभाग द्वारा सम्पुष्टि के क्रम में कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर इन्हें दी गयी प्रोन्नति रद्द/संशोधित की जा सकती है एवं इस मद में भुगतान की गयी राशि लाभार्थी से वसूल कर ली जाएगी।

4॰ उपरोक्त आदेश में निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

12.4.16

(मुकुल कुमार सिन्हा)
संयुक्त निबंधक (पणन),
सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 2930 /पटना, दिनांक 12.04.2016
वि.को./नि./रू.ए.सी.पी. – 07/2010

प्रतिलिपि :– 1. महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
2. कोषागार पदाधिकारी, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
3. संयुक्त निबधंक, सहयोग समितियाँ, सारण प्रमंडल, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
4. सम्बन्धित कर्मी को सूचनार्थ प्रेषित।
को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12.4.16

संयुक्त निबंधक (पणन),
सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।